संख्या-47 /2023/151/001-22-4-2023-1695942

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2022-23 में जिला कारागार आगरा में 30 क्षमता की 04 नग बैरक इन्क्लोजरवाल सहित निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7092/नम-3/बजट/2022-23 दिनॉक-03-03-2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में जिला कारागार आगरा में 30 क्षमता की 04 नग बैरक इन्क्लोजनवाल सहित के निर्माण कार्य हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि रू0 471.49 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त से सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	लागत की धनराशि	वित्तीय वर्ष-2022-23 में स्वीकृत की जाने वाली प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार आगरा	30 क्षमता की 04 नग बैरक इन्क्लोजनवाल सहित का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)	471.49	100.00
			योग-	471.49	100.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत् से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में दसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं दिनांक 04.11.2022 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(10) उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत् का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।

(12) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(13) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक हैं।

(14) योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(15) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(16) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तो, प्रतिबन्धों आदि का पूर्णत: पालन किया जायेगा।

(17) भविष्य में वित्तीय स्वीकृतियों/क्रयानुमोदन/कार्यानुमोदन के प्रस्ताव समय से प्रेषित किया जाय, ताकि वित्तीय मामलो में अनवाश्यक विलम्ब न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **10000000** (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510300 कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-841-X-2022-23, दिनांक: 31.3.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-47 /2023/151(1) /001-22-4-2023-1695942, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविलआडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।।

(5) जिलाधिकारी, आगरा।

(6) अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) प्रबंधक निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।